न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 42/2018 ई.रे. दिनांक 31.07.2025

1– सलीम खां पिता हकीम खां मुसलमान नि. कलन्दर खेड़ा तहसील बडीसादडी
2– मुस्तकीम खां पिता हकीम खां मुसलमान नि. कलन्दर खेड़ा तहसील बडीसादडी
– प्रार्थीगण

बनाम

1– अनवर खां पिता हकीम खां मुसलमान नि. कलन्दर खेड़ा तहसील बडीसादडी
2– उप पंजीयक निकुंभ
3– तहसीलदार बडीसादडी
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री लक्ष्मणसिंह झाला वकील प्रार्थीगण
श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव वकील विपक्षी संख्या 1

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही खानदान एवं परिवार के होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात मौजा कलन्दरखेड़ा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर वर्तमान में राजस्व खाता सं. नया 2 में विपक्षी नं0 1 श्री अनवर खां पिता हमीर खां मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड होकर आराजी नं0 4 रकबा 0.0100 है0, आ0नं0 5 रकबा 0.9100 है0 लगानी 11.83 रू. अस0नं0 21 रकबा 0.0100 है0 लगानी–आ0नं0 22 रकबा 0.9300 है0 लगानी 12.09 रू0, आ0नं0 23 रकबा 0.2900 है0 लगानी 3.77 रू0, आ0नं0 52 रकबा 0.0100 है0 लगानी–आ0नं0 53 रकबा 0.6300 है0 लगानी 8.19 रू0 आ0नं0 54 रकबा 0.1100 है0 लगानी 1. 43 रू0 आ0नं0 87 रकबा 0.0600 है0 लगानी 00, आ0नं0 148 रकबा 0.4600 है0 लगानी 15.18 रू0, आ0नं0 188 रकबा 0.2000 है. लगानी 6.60 रू., आ0नं0 192 रकबा 0.2000 है0 लगानी 6.60 रू0 आ0नं0 193 रकबा 0.5600 है0 लगानी 10.64 रू., व आ0नं0 259 रकबा 0.5800 है0 लगानी 4.06 रू0 कुल किता 14, कुल रकबा 4.6900 है0 कुल लगानी 80.39 रू0 है। जिसे सुविधा की दृष्टि से इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया जावेगा। खातेदारी की ताईद में नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजीयात होकर वर्तमान में विपक्षी नं0 1 के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। जब कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण एवं नजमा एवं मुर्तजा के पिता हकीम खां एवं उनके ... सद्दीक खां, अकरम खां व जाकीर हुसैन का भी जन्म से ही मालिकाना हक एवं अधिकार निहित ... कर वे जन्म से ही वादग्रस्त आराजीयात पर अपने पिता विपक्षी नं0 1 के साथ कब्जे काश्त ... रहे है। वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी नं0 1 अनवर खां एवं उसके ... पुत्रों का ... कि प्रत्येक का ... हक निहित होकर दर्ज रेकॉर्ड होना चाहिये ... कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी ... पिता हमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 19:09:15 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

खां की मृत्यु के पश्चात् सीधी ही वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी नं0 1 के नाम पर दर्ज कर दी जो कि गलत है।

3. यह कि विपक्षी नं0 1 ने मौके पर वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन अपने व अपने चारों पुत्रों के मध्य प्रत्येक के का 1/5 हक अनुसार विभाजन कर रखा है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 तथा उसके अन्य पुत्र उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं नजमा तथा मुर्तजा के पिता हकीम खां की मृत्यु के पश्चात् उसके 1/5 हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं नजमा तथा मुर्तजा बहेसियत वैधानिक वारीसन के संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि विपक्षी नं0 1 द्वारा निष्पादित घोषणा पत्र दिनांक 7–3–2017 से होती है।

4. यह कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी पैतृक आराजीयात होने से वादग्रस्त आराजीयात में मुताबिक सजरा एवं मौके पर कब्जे के अनुसार अपना एवं अपनी बहनों नजमा व मुर्तजा का संयुक्त 1/5 हक के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है।

5. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 ने वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर पारिवारिक सजरे में दर्शाये 1/5 हक अनुसार बाहमी बंटवाडे कर रखे है तथा पालियां डाल रखी है एवं प्रार्थीगण व विपक्षी नं. व उसके अन्य पुत्र मुताबिक बाहमी बंटवाडा के मोके पर अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विपक्षी नं0 1 व उसके पुत्र आये दिन वादग्रस्त आराजीयात के रकबे की कमीबेसी को लेकर, लगान जमा कराने को लेकर तथा पाली डोलियों की घास आदि को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण के कब्जे में अधिक जमीन बताते हुए उनके कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते रहते है एवं प्रार्थीगण की फसल में नुकसान पहुंचाते रहते है जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का मोके पर कब्जे के अनुसार तथा पारिवारिक सजरे के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अपना हक घोषित कराते हुए वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् बंटवाडा कराने एवं अपने हक हिस्से की आराजीयात अपने नाम पर अलग से खातेदारी में दर्ज कराकर लगान की फाटनी कराने के अधिकारी है।

6. यह कि विपक्षीगण नं0 1 अपने पुत्रों सद्दीक, अकरम व जाकिर हुसैन के सिखावे में एवं दबाव में आकर वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का विधिवत् हक घोषित कराये बिना ही एवं वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन कराये बिना ही वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है तथा विपक्षीगण नं0 1 अपने अन्य पुत्रों के साथ मिलकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर प्रार्थीगण को उनके कब्जेकाश्त की आराजीयात से बेदखल कर उस पर कब्जा करने पर आमदा है जिससे प्रार्थीगण, विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयत के किसी भी भू भाग को किसी भी तरह से किसी अन्य के नाम पर अन्तरित या हस्तान्तरित नहीं करें न करावे तथा किसी तरह का कोई हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन या पंजीयन नहीं करें न करावें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें न करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

7. यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक होकर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे है जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्वान्त पूरी तरह से प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिससे विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को किसी भी तरह से किसी अन्य के नाम पर अन्तरित या हस्तान्तरित नहीं करे न करावे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे न करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
विपक्षी नं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में [illegible] बिन्दु पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित खाता संख्या 2 की कुल किता 14 कुल रकबा 4.9600 हैक्ट. भूमि गांव कलंदरखेडा में स्थित है। लेकिन वह विपक्षी की खातेदारी की आराजी है।
2– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में प्रार्थीगण ने पारिवारिक सजरा अधूरा पेश किया हैं ।
3– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में पक्षकारान प्रार्थना पत्र जाति से मुस्लिम होकर मुस्लिम धर्म के अनयायी है तथा हम पर मुस्लिम विधि लागू होती है जिसके अनुसार ही मैं विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात का अकेला खातेदार काश्तकार होकर काबिज हू । मुस्लिम विधि में पिता के रहते हुए उनके वारिसान का किसी भी सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहता हैं। इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।
तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी के जीवनकाल में कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है।
4– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित अनुतोष प्रार्थीगण धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
5– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात का बटवाड़ा व घोषणा कराये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है एवं इस आशय का अनुतोष नहीं दिया जा सकता हैं।
6– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। मैं विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को अकेला खातेदार, काश्तकार होकर आराजीयात पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हू। वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोहकार मेरे जीवनकाल में नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षी के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी विधि के अनुसार नहीं है।
7– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–7 में वर्णित तथ्य गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है। विधि के अनुसार प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में वर्तमान में कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काशतकार होकर काश्त करता चला आ रहा हैं इसलिये प्रथम दृष्टिया प्रकरण विपक्षी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–
1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के कृषि भूमि के खाते अलग –अलग है प्राथी सहखातेदार नही है विपक्षीगण रिकोडेर्ड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर सावित करने में असफल रहा है इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।
<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के विरूद्ध पाया गया है जिसको प्रमाणित करने में प्रार्थी असफल रहा है। विपक्षीगण [illegible] खातेदार काश्तकार है जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही है बल्कि विपक्षी [illegible] रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं । अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

इनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण को हो सकती है। इस प्रकार दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है।
तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का अस्वीकार कर. खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31 /07/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:15 IST
Reason: SelfAttested